

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
(संलग्न विवरणानुसार)  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून::दिनांक: 16 मार्च 2011

विषय:- द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुति के अन्तर्गत शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु कुल धनराशि ₹794298000.00 (₹ उनासी करोड़ बयालीस लाख अठानवे हजार मात्र) को संलग्नानुसार अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2 (1)- संक्रमित धनराशि को वेतन एवं भत्ते आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत को देय धनराशि/प्रतिशत अंश द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड के संस्तुतियों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3)- ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी क्रॉस बैंक ड्राफ्ट द्वारा विलम्बतम् 15 दिन में सम्बन्धित पंचायत को प्राप्त कराई जाएगी।

(4) संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का व्ययवर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त बदलाव अनुमन्य होगा।

17/3/11  
26/3/11 cu

5/12/11

(5)- उपयोग प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार उत्तराखण्ड, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव पंचायत राज को भेजा जाएगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

3- इस पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायती राज संस्थाएं-198-ग्राम पंचायतें-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त

संख्या: 166 (1)/XXVII (1)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड (नैनीताल एवं रुद्रप्रयाग को छोड़कर)।
- 7- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (नैनीताल एवं रुद्रप्रयाग को छोड़कर)।
- 9- खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड (नैनीताल एवं रुद्रप्रयाग को छोड़कर)।
- 10- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)  
अपर सचिव, वित्त।

संख्या:- 166 /XXVII(1)/2011 दिनांक: 16 :<sup>मार्च</sup>फरवरी,2011 का संलग्नक।  
द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु  
ग्राम पंचायतों को विकासखण्डवार देय समनुदेशन का विवरण।

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1-	अल्मोड़ा	भैसियाछाना	50	2761
		भिकियासैण	98	4036
		चौखुटियों	99	4829
		धौलादेवी	109	9937
		द्वाराहाट	118	5970
		हवलबाग	125	5530
		लमगड़ा	97	6596
		सल्ट	138	8496
		स्याल्दे	93	6789
		ताकुला	89	3657
		ताडीखेत	130	9259
		योग:-	1146	67860
2-	बागेश्वर	बागेश्वर	181	10038
		गरुड़	101	4708
		कपकोट	115	9285
		योग:-	397	24031
3-	घमोली	दशोली	65	5712
		देवाल	44	4493
		गैरसैण	95	8852
		घाट	52	4150
		जोशीमठ	52	12395
		कर्णप्रयाग	94	7581
		नारायणबगड़	70	4197
		पोखरी	76	5055
		थराली	53	4060
		योग:-	601	56495
4-	चम्पावत	बाराकोट	47	3381
		चम्पावत	99	13583

(धनराशि हजार में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
		लोहाघाट	65	4375
		पाटी	79	5901
		योग:-	290	27240
5-	देहरादून	चकराता	97	11103
		डोईवाला	47	14881
		कालसी	97	11456
		रायपुर	55	15306
		सहसपुर	55	19040
		विकासनगर	52	15165
		योग:-	403	86951
6-	हरिद्वार	बहादुराबाद	64	31333
		भगवानपुर	53	16532
		खानपुर	21	5157
		लक्सर	48	10009
		नारसन	58	14081
		रूड़की	58	12144
		योग:-	302	89256
7-	पौड़ी	बीरोरखाल	102	12428
		हुमनाखंड	99	24473
		द्वारीखाल	99	15008
		एकेश्वर	83	7539
		कल्जीखाल	87	9659
		खिर्सू	43	5159
		कोट	68	7074
		लैंसडाउन (ज०ख०)	74	9786
		नैनीडाण्डा	89	12310
		पाबौ	74	9978
		पौड़ी	64	6212
		पोखड़ा	57	5028
		रिखणीखाल	81	9183
		थलीसैण	102	16803
		यमकेश्वर	86	15211

(धनराशि हजार र में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
		योग:-	1208	165851
8-	पिथौरागढ़	बेरीनाग	88	10499
		धारचूला	56	15232
		डीडीहाट	67	4306
		गंगोलीहाट	122	12591
		कनालीछीना	88	5910
		मुनाकोट	74	6258
		मुनर्यारी	93	17278
		पिथौरागढ़	81	5997
		योग:-	669	78071
9-	टिहरी	भिलंगना	178	21166
		चम्बा	99	5700
		देवप्रयाग	111	6877
		जाखणीधार	90	4548
		जौनपुर	124	9265
		कीर्तिनगर	82	4235
		नरेन्द्र नगर	111	5086
		प्रतापनगर	98	4941
		थौलधार	86	4543
		योग	979	66361
10-	ऊधम सिंह नगर	बाजपुर	88	
			39	9348
		गदरपुर	43	7632
		जसपुर	43	8685
		काशीपुर	28	6587
		खटीमा	55	22925
		रुद्रपुर	45	9218
		सितारगंज	56	23979
		योग	309	88374
11-	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	77	8206
		चिन्धालीसौण	74	4944
		डुंडा	88	5680

(धनराशि हजार में)

क्र०सं०	जनपद	विकास खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
		मोरी	62	6713
		नौगांव	113	15396
		पुरोला	40	2869
		योग:-	454	43808
		महायोग:-	6758	794298

(रुजनासी करोड़ बयालीस लाख अठानवे हजार मात्र)

(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त।